© भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agaudelhi.cag.gov.in

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वर्ष 2015 का प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
राज्य वित्त
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली सरकार
वर्ष 2015 का प्रतिवेदन

भारत के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

राज्य वित्त

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वर्ष 2015 का प्रतिवेदन

विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii-x
अध्याय – 1 **राज्य सरकार के वित्त**		
प्रस्तावना	1.1	2
चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश	1.2	2
बजट अनुमान व वास्तविकता	1.3	3
राज्य के संसाधन	1.4	4
राजस्व प्राप्तियाँ	1.5	5
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.6	9
व्यय की गुणवत्ता	1.7	10
सरकारी व्यय व निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	13
परिसम्पत्तियाँ व देयताएँ	1.9	15
ऋण धारणीयता	1.10	16
राजकोषीय असंतुलन	1.11	18
निष्कर्ष	1.12	21
सिफारिशें	1.13	22
अध्याय – 2 **वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण**		
प्रस्तावना	2.1	23
विनियोजन लेखों का सारांश	2.2	23
वित्तीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन	2.3	24
व्यय की कमी के कारण समायोजित की गई वसूलियाँ	2.4	31
अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	2.5	31
अनुदान सं.11 - के पुनरीक्षण के निष्कर्ष के परिणाम शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग	2.6	32
निष्कर्ष	2.7	35
सिफारिशें	2.8	35

अध्याय – 3 वित्तीय रिपोर्टिंग		
उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	37
निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा	3.2	38
दुर्विनियोजन, हानियाँ तथा गबन इत्यादि	3.3	39
व्यक्तिगत जमा खाते	3.4	40
असमायोजित सार आकस्मिक बिल	3.5	40
उचंत शेष	3.6	41
निष्कर्ष	3.7	42
सिफारिशें	3.8	43

क्र.सं.	परिशिष्ट	पृष्ठ
1.1	राज्य की रूपरेखा (दिल्ली)	45
1.2	सरकारी लेखों की संरचना एवं बनावट	46
1.3	राज्य सरकार के वित्तों पर समय सारणी आँकड़े	48
1.4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृत्तियाँ	51
1.5	वर्ष 2013-14 के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार	52
2.1	₹ 50 करोड़ तथा अधिक की बचतों के अनुदानों की सूची	56
2.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहाँ पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त थे	60
2.3	वर्ष 2013-14 के लिए प्रावधानों से अधिक व्यय जिनका नियमितीकरण किया जाना अपेक्षित है	64
2.4	अधिक/अनावश्यक पूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ अथवा अधिक)	65
2.5	अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन (जहाँ अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी)	66

2.6	निधियों का ₹ एक करोड़ से अधिक तथा मूल प्रावधान के 60 प्रतिशत अभ्यर्पण के मामले	70
2.7	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों जिसमें बचत हुई परन्तु जिसका कोई अंश अभ्यर्पित नहीं हुआ, की विवरणी	73
2.8	₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचत का विवरण जो कि अभ्यर्पित नहीं की गई	73
2.9	अवास्तविक बजटीकरण जहाँ सम्पूर्ण प्रावधान सीएसएस तथा एससीएसपी योजना के अन्तर्गत अप्रयुक्त रहा	74
2.10	वर्ष 2013-14 के अंत में व्यय का द्रुतप्रवाह	77
2.11	पूंजीगत शीर्ष के बजाय राजस्व शीर्ष के अंतर्गत गलत वर्गीकरण की सारणी	79
2.12	संसद/विधान सभा के पूर्व अनुमोदन के बगैर निकायों/प्राधिकरणों को सहायता अनुदान के अंतर्गत प्रावधानों में वृद्धि (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख अथवा अधिक)	82
3.1	निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा की स्थिति को दर्शानेवाली विवरणी	85